देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या 804 /भू अ० दिनांक : 3/11/17

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम—**बजरमरूआ, थाना—देवघर, थाना सं०—361, अंचलः— देवघर, जिला—देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **देवघर—मधुपुर पथ उन्नयन परियोजना** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम—**बजरमरूआ, थाना—देवघर, थाना सं०—361, अंचल—देवघर, जिला—देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **2.08 एकड़** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है—

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	396	रैयती	बाड़ी—2	0.06	नेमानी राय वो गुरूचरण राय वो हाकीम राय पे0 स्व0 किनो राय वो काशी राय वो गोनो राय वो शनीचर राय पे0 स्व0 श्रवण राय।	मौजा बाघा पाथर एवं लाकर बिन्धा	मौजा बसवरिया	मौजा बारा टांड़	दाग नं 380, 382, 393, 394, 395, 337, 271
2	2	387	रैयती	बाड़ी—2	0. 015	तथैव				
3	3	287	रैयती	बाड़ी—2	0.05	कार्तिक महतो वो भुवन महतो पे0 चुटो महतो वो विश्वनाथ यादव वो हेमलाल यादव वो उमेश यादव वो रंजीत यादव पे0 स्व0 वलदेव महतो वो गणेश यादव वो देवेन्द्र यादव वो मदन यादव पे0 स्व0 गोर्वधन महतो वो मेघलाल महतो पे0 स्व0 ननकु महतो।				
4	3	337	रैयती	बाड़ी—2	0.19	तथैव				
5	3	393	रैयती	बाड़ी—2	0.03	तथैव				
6	3	380	रैयती	बाड़ी—2	0.04	तथैव				
7	3	351	रैयती	बाड़ी—2	0.10	तथैव				
8	3	378	रैयती	बाड़ी—2	0.07	तथैव				
9	11	342	रैयती	बाड़ी—2	0.095	खलील मियां वो सकुर मियां वो अनवर मियां पे0 सुलेमान मियां वो अली हुसैन वो मो0 आसीन वो लुकमान अंसारी वो दीलजान अंसारी पे0 रसूल मियां वो अलमुद्दीन अंसारी वो इब्राहीम मियां पे0 गुलजान मियां वो मो0 अंसारी वो कयुम अंसारी वो नइम अंसारी वो इसराइल अंसारी वो इद्रीश अंसारी पे0 अकलू मियां वो जफरू मियां पे0 चरकु मियां वो मो0 कादीर पे0 जीतन मियां।				
10	11	340	रैयती	बाड़ी—2	0.03	तथैव				
11	11	382	रैयती	बाड़ी—2	0.035	तथैव				
12	11	344	रैयती	बाड़ी—2	0.10	तथैव				
13	11	376	रैयती	बाड़ी—2	0.25	तथैव				

03-11-2017

14	13	285	रैयती	मकान	0.005	श्याम सुन्दर वर्मा वो श्रीकान्त वर्मा वो केदार वर्मा वो अरविन्द वर्मा पे0 स्व0 नुनलाल वर्मा वो पार्वती देवी वो गौरी देवी वो मैंना देवी पिता स्व0 पतरू महतो।				
15	13	286	रैयती	बाड़ी–2	0.20	तथैव				
16	13	394	रैयती	बाड़ी–2	0.04	तथैव				
17	13	346	रैयती	बाड़ी–2	0.03	तथैव				
18	13	353	रैयती	बाड़ी–2	0.13	तथैव				
19	20	339	रैयती	बाड़ी–2	0.09	देवान मरांडी वो बैजू मरांडी पे0 स्व0 लेड़ा मरांडी वो गणेश मरांडी वो दीवा मरांडी पे0 स्व0 खेरा मरांडी।				
20	20	345	रैयती	बाड़ी–2	0.03	तथैव				
21	20	372	रैयती	बाड़ी–2	0.06	तथैव				
22	24	288	रैयती	बाड़ी–2	0.15	नन्दलाल सोरेन वो छोटे लाल सोरेन पे0 स्व0 गणेश सोरेन वो डगरा सोरेन वो दलाल सोरेन पे0 स्व0 ढ़ेना सोरेन वो बबुआ सोरेन पे0 मुरला सोरेन वो मंगली देवी पति सुखलाल सोरेन वो जगन सोरेन वो विशेश्वर सोरेन पिता बड़का सोरेन वो मंगल सोरेन वो लखेश्वर सोरेन वो विपीन सोरेन पिता स्व0 परना सोरेन वो शाली ग्राम सोरेन पे0 स्व0 नुनवा सोरेन।				
23	24	288	रैयती	बाड़ी–2	0.025	तथैव				
24	24	338	रैयती	बाड़ी–2	0.06	तथैव				
25	24	395	रैयती	बाड़ी–2	0.035	तथैव				
26	24	347	रैयती	बाड़ी–2	0.02	तथैव				
27	25	381	रैयती	बाड़ी–2	0.02	जागेश्वर सोरेन वो नरेश सोरेन पे0 स्व0 होपना सोरेन ।				
28	25	352	रैयती	बाड़ी–2	0.06	तथैव				
29	25	373	रैयती	बाड़ी–2	0.06	तथैव				
		कुल रकवा–			**2.08**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के

03-11-2017

बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी देवघर 28/10/17

उपर समाहर्त्ता देवघर 03-11-2017

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर। 3/11/17

ज्ञापांक 804 / भू अ0, देवघर, दिनांक 3/11/17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी देवघर 28/10/17

उपर समाहर्त्ता देवघर 03-11-2017

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर। 3/11/17